उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्याः–आडिट–117 / दस–2013–101(18) / 09
लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2013.

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

कृपया अपने पत्र संख्या–03 / 43–2–2012–15 / 2(3) / 07, दिनांक 10–1–2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग के नियंत्रणाधीन रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उ0प्र0 की सूचना निम्न है:–

क0 सं0	विभाग	अधिकारी का नाम	पत्र संख्या	दिनांक	वसूली की धनराशि	अभ्युक्ति
263	वित्त	श्री संजीव गुप्ता, तत्कालीन सहायक निबन्धक, आजमगढ़	एस–10–2657 / सी / 09	21–10–2011	25,000 / –	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त स्थगनादेश प्रभावी है। (प्रतिलिपि संलग्न)
265	वित्त	ज0सू0अ0 मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें	एस–1724 / सी / 08	–	–	राज्य सूचना आयोग द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किया गया। (प्रतिलिपि संलग्न)
266	वित्त	श्री अर्जुन कुमार, लेखा परीक्षा अधिकारी, आजमगढ़	एस–10–2527 (सी) / 08	13–8–2010	25,000 / –	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दण्ड की वसूली रोक दी गयी। (प्रतिलिपि संलग्न)

3– उक्त सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

(सुरेश चन्द्र)
अनु सचिव।

अनु स
US (SC)

संख्याः–आडिट–117 / दस–2013–101(1)(18) / 09, तद्दिनांक

21/1/13

प्रतिलिपि श्री अरविन्द मिश्रा, प्रभारी निकनेट, वित्त विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना संलग्नक सहित वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
अनु सचिव।

(अरविन्द नारायण मिश्र)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग,
उ0 प्र0 शासन।

राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित दण्ड के बकायेदारों से वसूल की गई धनराशि की सूचना

क्रमांक सं0	विभाग	अधिकारी का नाम	पत्रसंख्या	दिनांक	वसूली की धनराशि	अभ्युक्ति
263	वित्त	श्री संजीव गुप्ता तत्कालीन सहायक निबंधक, आजमगढ़	एस–10–2657/सी/09	21.01.2011	रू0 25000/–	मा0उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त स्थगनादेश प्रभावी है।

उप निबंधक
[illegible]
उ0प्र0, लखनऊ

Court No. - 29

Case :- WRIT - A No. - 48529 of 2010

Petitioner :- Arjun Kumar
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Jai Singh
Respondent Counsel :- C. S. C.

Hon'ble Sheo Kumar Singh,J.
Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.

Argument is that petitioner joined at Azamgarh on 14.9.2009 and in respect to the order passed by the Member Information Commission dated 4.9.2009 he was neither aware nor otherwise made aware and he could not appear on 13.11.2009 before the commission although in another matter he was present there, as has been submitted by the petitioner in his reply submitted in the matter in issue and thus straightaway the ground/charge of non appearance on only one date i.e. 13.11.2009 about which petitioner explained, passing of the order by the Chief Audit Officer (annexure no. 8 to the writ petition) cannot be said to be justified.

On these facts matter needs to be decided.

Learned Standing Counsel has accepted notice fo respondent no. 1 and 2. He may file response in the matter.

List this matter after one month.

Till the next date of listing pursuant to the order date 23.7.2010 no amount will be recovered from the salary of th petitioner but at the same time it is made clear that as ar when next date if fixed in the Commission petitioner is appear and place the facts, as required.

Order Date :- 13.8.2010
Sachdeva

AUTHENTICATED COPY
31.8.10
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT, ALLAHABAD